

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - राजेपुर

दि-20.06.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.मान सिंह पुत्र उम्मेद सिंह 2.मितान सिंह पुत्र मनोहर 3.कलक्टर पुत्र मान सिंह निवासी डबरी थाना राजेपुर जनपद फरुखाबाद के विरुद्ध मु०अ०स०- 83/1998 वाद संख्या 1444/2024 धारा 323/325/504/506 भा०द०वि० थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी प्रथम द्वारा दिनांक 20.06.2026 को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा व 3000-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ - श्री चन्द्रेश कुमार



को० मो० - हे०का० सन्तोष कुमार



पैरोकार - का० बबलु कुमार

प्रेस नोट – कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक - 20.06.2026

कोतवाली फरुखाबाद पुलिस के द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी की गई मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फरुखाबाद वाहन चैकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल को दो संदिग्धों से बरामद कर पूछताछ के बाद मोटर साइकिल चोरी की पायी गई। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली फरुखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. प्रसून मिश्रा पुत्र कमल किशोर निवासी हरपालपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 19.06.2026 को कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति मोहल्ला घेरश्यामू खां इण्डसट्रियल एरिया के पास बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बेचने के लिए खड़े हुए है। सूचना पर कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनो व्यक्तियों से पूछताछ कर मोटर साइकिल के कागजात आदि के बारे में जानकारी की गई तो दोनो संदिग्धो नें मोटर साइकिल दिनांक 17.06.2026 को गड़ी चौखंडी सेक्टर 121 थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर सडक के किनारे से चोरी करना बताया। उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जरिए दूरभाष चौकी प्रभारी गढ़ी चौखंडी जनपद गौतम बुद्ध नगर से वार्ता की गई, चौकी प्रभारी द्वारा बताया गया उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में वादी ने ईएफआईआर पंजीकृत कराई थी जिसे दिनांक 19.06.2026 को थाना फेस 3 नोएडा पर मु0अ0सं0- 241/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तों चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ व प्रसून मिश्रा पुत्र कमल किशोर निवासी हरपालपुर थाना हरपालपुर जनपद हरदोई को मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 122/26 धारा 317(2) बीएनएस बनाम चन्द्र प्रताप सिंह आदि 02 नफर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि पैसो के लालच में हम मोटर साइकिल गौतम बुद्ध नगर से चोरी कर कर फतेहगढ़ बेचने के लिए आये थे। हमसे गलती हो हमें माफ कर दीजिए।

अभियुक्त चन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 241/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस 3 नोएडा ।
2. मु0अ0सं0- 122/26 धारा 317(2) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त प्रसून मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 241/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस 3 नोएडा
2. मु0अ0सं0- 122/26 धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस बिना नम्बर (चोरी की हुयी)

बरामदगी करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह गहलोत
03. रिक्कूट का0 महेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री कल्पेश सिंह चौधरी
04. रिक्कूट का0 प्रशांत कुमार
4. का0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।